राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 97 / 2020

1. रामसिंह पुत्र रामजीलाल उम्र 36 वर्ष जाति अहीर निवासी दलौता तहसील खेतड़ी, जिला झुझुनूं (राज.)
2. प्रमेन्द्र कुमार यादव पुत्र रामजीलाल उम्र 36 वर्ष जाति अहीर निवासी दलौता तहसील खेतड़ी, जिला झुझुनूं (राज.)
3. कमला पत्नी रामजीलाल उम्र 57 वर्ष जाति अहीर निवासी दलौता तहसील खेतड़ी, जिला झुझुनूं (राज.)

.... प्रार्थीगण

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

..........अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती

निर्णय **दिनांक 23–03–2021**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम दलौता स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 121 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम राम पुत्र रामजीलाल के स्थान पर रामसिंह पुत्र रामजीलाल, प्रार्थी संख्या 2 का नाम परमिन्द्र पुत्र रामजीलाल के स्थान पर प्रमेन्द्र कुमार यादव पुत्र रामजीलाल तथा प्रार्थीया संख्या 3 का नाम फूला पत्नी रामजीलाल के स्थान पर कमला पत्नी रामजीलाल दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। राज पैरोकार नायब तहसीलदार खेतड़ी ने उपस्थित होकर प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमती व्यक्त की।

प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2073–76 खाता सं. 121 ग्राम दलौता पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम दलौता स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 121 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम राम पुत्र रामजीलाल के स्थान पर रामसिंह पुत्र रामजीलाल, प्रार्थी संख्या 2 का नाम परमिन्द्र पुत्र रामजीलाल के स्थान पर प्रमेन्द्र कुमार यादव पुत्र रामजीलाल तथा प्रार्थीया संख्या 3 का नाम फूला पत्नी रामजीलाल के स्थान पर कमला पत्नी रामजीलाल दुरूस्त किया जाना न्यायोचि[illegible]ाता है। यदि उक्त भूमि रहन हो तो भूमि रहन मुक्त होने के उप[illegible] की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.03.24 16:27:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम दलौता स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 121 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम राम पुत्र रामजीलाल के स्थान पर रामसिंह पुत्र रामजीलाल, प्रार्थी संख्या 2 का नाम परमिन्द्र पुत्र रामजीलाल के स्थान पर प्रमेन्द्र कुमार यादव पुत्र रामजीलाल तथा प्रार्थीया संख्या 3 का नाम फूला पत्नी रामजीलाल के स्थान पर कमला पत्नी रामजीलाल दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23–03–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.03.24 16:27:04 IST
Reason: SelfAttested